Annexure – 29

(7.1)

(Fee Structure of the University)

Ref. No.

Date..................................

The Required information in ***Observations of the UGC Expert Committee on the information submitted by State Private Universities*** which is asked under **E. Fee Structure 7.1 Present Course-wise fee structure of the University.**

University follows the fee structure decided by M.P Private University Regulatory Commission.

Copy of **fee structure** is attached.

Vice Chancellor
P. K. University
Shivpuri (M. P.)

VICE CHANCELLOR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

Registrar
P. K. University
Shivpuri (M. P.)

REGISTRAR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2647/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.नि.आयोग/2023

दिनांक 30/10/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
पी.के. विश्वविद्यालय
शिवपुरी (म.प्र.)

विषय-- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ङ) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2023–24** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की **23.08.2023** एवं **18.10.2023** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सामान्य बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	MANAGEMENT	BBA	28,000.00	21250	3750	25000
2	MANAGEMENT	MBA (Finance/ Marketing/Hr/ Entrepreneurship)	50,000.00	42500	7500	50000
3	ARTS	BA	10,000.00	8500	1500	10000
4	ARTS	MA	20,000.00	17000	3000	20000
5	PHARMACY	B.PHARMA	70,000.00	59500	10500	70000
6	PHARMACY	D.PHARMA	100,000.00	58735	10365	69100
7	PHARMACY	M.PHARMA	90,000.00	65280	11520	76800
8	COMMERCE	B.COM	10,000.00	8500	1500	10000
9	COMMERCE	M.COM	20,000.00	17000	3000	20000
10	SCIENCE	BSC (ALL)	10,000.00	8500	1500	10000
11	SCIENCE	MSC (ALL)	20,000.00	17000	3000	20000
12	AGRICULTURE	BSC (AG)	40,000.00	34000	6000	40000
13	AGRICULTURE	MSC (AG)	50,000.00	40800	7200	48000
14	COMPUTER APPLICATION	BCA	28,000.00	23800	4200	28000
15	COMPUTER APPLICATION	PGDCA	15,000.00	12750	2250	15000
16	COMPUTER APPLICATION	MCA	50,000.00	42500	7500	50000

निरं. 02

30/10

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल– 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpprvs.in, फोन : 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpprvs.in, Phone : 0755-2490322

P.K. University SHIVPURI (M.P.)

REGISTRAR
P.K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

Scanned by CamScanner

//02//

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

17	LAW	LLB	30,000.00	25500	4500	30000
18	LAW	BALLB	20,000.00	17000	3000	20000
19	LAW	LLM	40,000.00	34000	6000	40000
20	PARAMEDICAL	DIPLOMA PARAMEDICAL	50,000.00	38250	6750	45000
21	NURSING	BSC NURSING	95,000.00	55250	9750	65000
22	ENGINEERING	DIPLOMA ENGINEERING	28,000.00	23800	4200	28000
23	ENGINEERING	B.TECH	50,000.00	42500	7500	50000
24	ENGINEERING	M.TECH	50,000.00	42500	7500	50000

नोट– **उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।**

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2023–24** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडो की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नही है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

31/1/24

(डॉ.के.पी.साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक............/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

P.K. University SHIVPURI (M.P.)

REGISTRAR
P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

Scanned by CamScanner